न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 11 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट

1. श्रीमती चूनीदेवी पत्नी गुमनाराम उम्र 40 वर्ष
2. श्रीमती वरजूदेवी पत्नी गंगाराम उम्र 35 वर्ष
3. श्रीमती कमलादेवी पत्नी खींयाराम उम्र 25 वर्ष
4. राणाराम पुत्र भारमलराम उम्र 30 वर्ष
5. चिमाराम पुत्र पुरखाराम उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर(राज.)

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.गिरधारीराम पुत्र मानाराम उम्र 50 वर्ष
2.हेमाराम पुत्र मानाराम उम्र 60 वर्ष
3.नारणाराम पुत्र मानाराम उम्र 55 वर्ष
4.श्रीमती पारूदेवी पत्नी मानाराम उम्र 25 वर्ष
5.नंवलाराम पुत्र निम्बाराम उम्र 80 वर्ष
6.पूनमाराम पुत्र निम्बाराम उम्र 70 वर्ष
7.पदमाराम पुत्र निम्बाराम उम्र 70 वर्ष
8.बगताराम पुत्र बनाराम उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी हनुमानपुरा तहसील शिव जिला बाड़मेर(राज.)
9.नूरा खां पुत्र पीरा खां उम्र 70 वर्ष
10.आरबखां पुत्र पीरा खां उम्र 65 वर्ष
11.आलम खां पुत्र पीरा खां उम्र50 वर्ष
12.साकर खां पुत्र पीरा खां उम्र 50 वर्ष
13.मीरखां पुत्र कदूलखां का मु
13/1उस्मानखां पुत्र मीर खां उम्र 40 वर्ष
13/2अदरीम खां पुत्र मीर खां उम्र 35 वर्ष
13/3ढूलां पत्नी मीरखां उम्र 35 वर्ष
14.भीखी पुत्री हकीम खां उम्र 35 वर्ष
15.राणी पत्नी भूरा खां उम्र 70 वर्ष
16मखणी पत्नी भूरा खां उम्र 60 वर्ष
17.निजामखां पुत्र नूरे खां उम्र 30 वर्ष
18.चनणी पत्नी आलम खां उम्र 50 वर्ष
19.उम्मेदा पत्नी अमरदीन खां उम्र 40 वर्ष जाति मुसलमान निवासी हनुमानपुरा पटवार क्षेत्र राजबेरा तहसील शिव जिला बाड़मेर (राज.)
20.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 148 / 2013 बअनवान गिरधारीराम वगै. बनाम नवलाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 26.12.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 ग्राम हनुमानपुरा तहसील शिव के खेत खसरा संख्या 849 रकबा 78.01 बीघा के रिकॉर्डेड खातेदार है और अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 05 से 08 ग्राम हनुमानपुरा के खेत खसरा संख्या 855 रकबा 49 बीघा के रिकॉर्डेड खातेदार है और खसरा संख्या 856, 965/857, 966/857 के उतरदाता संख्या 09 से 19 तक रिकॉर्डेड खातेदार है। उक्त खसरों में आवागमन हेतु रास्ते की भूमि दी जावे तथा रास्ता पूर्व में चल रहा था जिसे एक कमरे का निर्माण कर उतरदाता संख्या 07 पदमाराम द्वारा अवरूद्ध कर दिया है। हस्तगत आवेदन में अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 05 से 19 की विधिवत रूप से नोटिस तामील नहीं करवा कर तलबी नहीं की गई। तथा केवल उतरदाता पूनमाराम, पदमाराम व बगताराम, निजाम खां आदि से उतरदाता संख्या 01 से 04 ने मिल कर लोक अदालत में एकतरफा राजीनाम प्रस्तुत कर दिया जिस पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। हस्तगत आवेदन में अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 05 से 19 की विधिवत रूप से नोटिस तामील नहीं करवा कर तलबी नहीं की गई। तथा केवल उतरदाता पूनमाराम, पदमाराम व बगताराम, निजाम खां आदि से उतरदाता संख्या 01 से 04 ने मिल कर लोक अदालत में एकतरफा राजीनाम प्रस्तुत कर दिया जिस पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की मुआवजा राशि भी अपीलांटगण को नियमानुसार दी जा चुकी है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधिवक्त रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये :–

RRT 2019(1) Page 574
RRT 2011(2) Page 851

अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है जिसकी अपीलांटगण को जानकारी नहीं थी। दिनांक 29.01.2016 को पटवारी हल्का मौके पर उपरोक्त रास्ते की भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित मुआवजे की राशि देने के लिये पटवारी हल्का आये तो पटवारी हल्का से पूछने पर उक्त आदेश का अपीलांटगण को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ और ज्ञान होने पर निर्णय की नकल मांगी जो नकल मिलन पर यह अपील अपीलांट द्वारा सम्यक तत्परता एवं सद्भावना से तुरन्त ही अपील जानकारी से 2 माह की अवधि के भीतर पेश की गई है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

RRT 2016-17(Supp.) Page 158

अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष को सुनकर मजमे आम में जरिये राजीनामा के आधार पर पारित किया गया है। अपीलाधीन रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खेत से कटाण मार्ग तक पहुंचने का अन्य कोई नजदीक विकल्प नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ते पर कोई पक्का निर्माण कार्य नहीं है तथा मौके पर रास्ता चालू है। अपीलांटगण प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांटगण की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 148/2013 बअनवान गिरधारीराम वगै. बनाम नवलाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 को यथावत रखा जाता है।

26/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner